



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 20/04/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो० पृथ्वीश नाग	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो० पी०सी० शुक्ल	अधिष्ठाता, नाणिक्य संकाय	सदस्य
3	प्रो० श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो० जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5	डॉ० अचधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6	प्रो० एस०के० दीक्षित	वरिष्ठ आचार्य, भूगोल विभाग	सदस्य
7	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ० समीता पाण्डेय	उपाचार्य, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ० अनुशय द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ० सुधाकर लाल श्रीवास्तव	शिक्षक, प्रतिनिधि	सदस्य
11	डॉ० अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

1. (क) श्री प्रेमशंकर पाठक पुत्र श्री राजनारायण पाठक एम०ए० (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष-1983, अनुक्रमांक 2677 एवं एम०ए० (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष-1984, अनुक्रमांक 23605, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के परीक्षाफल की जांच के प्रकरण में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की प्रस्तुत संस्तुति पर विचार।

निर्णय: श्री प्रेमशंकर पाठक पुत्र श्री राजनारायण पाठक एम०ए० (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष-1983, अनुक्रमांक 2677 एवं एम०ए० (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष-1984, अनुक्रमांक 23605, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के परीक्षाफल की जांच के प्रकरण में समिति ने सर्वसम्मति से जांच समिति की संस्तुति को स्वीकार किया एवं समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अभिलेख के अनुसार श्री प्रेमशंकर पाठक का एम०ए० प्रथम वर्ष-1983 में प्राप्तांक 169/400, एम०ए० (अंग्रेजी) अंतिम वर्ष-1984 के प्राप्तांक 248/600 कुल योग 417/1000 परीक्षाफल IIIrd डिवीजन ही, सही है व हाथ से कटिंग कर बढ़ाया गया अंक गलत है, अतः श्री प्रेमशंकर पाठक को पूर्व में निर्गत अंकपत्र एवं उपाधि को निरस्त कर संशोधित अंकपत्र एवं संशोधित उपाधि निर्गत किया जाय। साथ ही समिति ने इस टैपरिंग हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर जांच कराकर कारवाई कराने हेतु निर्णय लिया।

- (ख) केशरी नारायण त्रिपाठी, ग्राम व पोस्ट-लवनापार, जनपद-बस्ती के शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2016 के क्रम में बिन्दू देवी पुत्री शिवनारायण पाण्डेय, अनुक्रमांक-83663, बी०ए० भाग तीन वर्ष-1992 केन्द्र-शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती के परीक्षाफल एवं निर्गत अंकतालिका की जांच हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 10/01/2017 के क्रम में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय: केशरी नारायण त्रिपाठी, ग्राम व पोस्ट-लवनापार, जनपद-बस्ती के शिकायती पत्र के क्रम में बिन्दू देवी पुत्री शिवनारायण पाण्डेय, अनुक्रमांक-83663, बी०ए० भाग तीन वर्ष-1992 केन्द्र-शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती के परीक्षाफल एवं निर्गत अंकतालिका की जांच हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में गठित समिति की संस्तुति-

“समिति उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों की जांच/अवलोकन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रक्रिया के अन्तर्गत बिन्दू देवी के बी०ए० भाग तीन वर्ष-1992 अनुक्रमांक 83663 पर राजनीति शास्त्र में अंक अंकित कर परीक्षाफल-उत्तीर्ण तृतीय श्रेणी की अंकतालिका निर्गत की जा चुकी है, जो वैध है। इस प्रकार केशरी नारायण त्रिपाठी के प्रतिवेदन दिनांक 27/11/2016 में बिन्दुदेवी के परीक्षाफल के सम्बन्ध में लगाये गये बिन्दुवार आरोप निराधार होने के कारण बलहीन है” को स्वीकार किया।

- (ग) (i) प्राचार्य सेंट एण्ड्रयूज महाविद्यालय गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 17/12/2016 के द्वारा अवगत कराया है कि शिवांगी द्विवेदी पत्नी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय बी०एड० वर्ष-2016 अनुक्रमांक 1617531270081 संस्थागत छात्रा है, सारणीयन पंजिका में शिवांगी द्विवेदी पत्नी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय नाम अंकित है। छात्रा ने पति का नाम शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्थान पर पिता का नाम श्री दिवाकर द्विवेदी अंकित करने की मांग की है। पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम संशोधन करने पर विचार। (हाईस्कूल प्रमाण, बी०ए०, बी०एड० अंकपत्र एवं शपथ पत्र भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है)



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

और देने का अनुरोध किया है। छात्रों का आवेदन प्राचार्य, सेंटएण्ड्रयूज पी0जी0 कालेज, गोरखपुर एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा असाधारित है। संकायाध्यक्ष में अपनी आस्था में प्रकट किया है कि "विशेष परिस्थिति में परीक्षार्थीनी की दयनीय स्थिति/परिस्थिति को ध्यान में रखकर परीक्षा समिति के समक्ष आवेदन रखने का कष्ट करना चाहें" शोभा रानी के प्रत्यावेदन पर विचार।

निर्णय: वर्तमान संकायाध्यक्ष, विधि संकाय के अभिमत के क्रम में समिति ने शोभा रानी यादव, विधि भाग दो को परीक्षा में बैठने सम्बन्धी प्रकरण को अस्वीकार किया।

(ड) डॉ० अजय कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, एच0आर0पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर ने अपने पत्र दिनांक 10/04/2017 के माध्यम से अनुरोध किया है कि बी0एस-सी0 भाग एक एवं भाग दो में रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान एवं कला संवर्ग में मनोविज्ञान, भूगोल तथा सैन्य विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर यथा- समाज शास्त्र, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र में भूतपूर्व एवं अर्ह छात्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा होनी है। व्यवस्था के दृष्टिगत सम्भव हो तो भूतपूर्व एवं अर्ह छात्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा नोडल केन्द्र पर करायी जा सकती है इस क्रम में आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों को नामित कर सूचना प्रेषित करने के सम्बन्ध में है। नोडल केन्द्र पर स्नातक कला एवं विज्ञान संवर्ग तथा स्नातकोत्तर कला संवर्ग के भूतपूर्व छात्रों के प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा नोडल केन्द्र पर कराने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पूर्व समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के बी0एस-सी0 भाग एक एवं भाग दो में रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान एवं कला संवर्ग में मनोविज्ञान, भूगोल तथा सैन्य विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर यथा- समाज शास्त्र, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र में भूतपूर्व एवं अर्ह छात्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा नोडल केन्द्र 1. ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज, बस्ती 2. जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज, महराजगंज 3. एच0आर0 पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर 4. शिवपति महाविद्यालय शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर पर करा लिया जाय तथा आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों को नामित कराकर सूचना प्रेषित कर दी जाय, यदि उक्त विषय किसी नोडल केन्द्र पर संचालित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस विषय की परीक्षा किसी निकट के अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय पर सम्पन्न करायी जा सकती है।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रों के परीक्षा परिणाम के दृष्टिगत इसे शीघ्र परिष्कृत कराया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार

1. मूल्यांकन केन्द्र पर वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने हेतु सह-समन्वयक सहित तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व दैनिक मजदूरों आदि की संख्या निर्धारित करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से मूल्यांकन केन्द्र पर वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन करने हेतु सह-समन्वयक सहित तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व दैनिक मजदूरों आदि की अधिकतम संख्या निम्नवत निर्धारित करते हुए वित्त समिति को अनुमोदनार्थ संदर्भित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय आगामी वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु प्रभावी होगा।

- (क) समन्वयक—(01) एक
- (ख) सहसमन्वयक—(03) तीन
- (ग) तृतीय श्रेणी कर्मचारी—(03) तीन
- (घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—(04) चार
- (ङ) दैनिक मजदूर—(05) पांच

2. डॉ० के०डी० तिवारी, महामंत्री गुवाकटा ने अपने पत्र दिनांक 14/03/2017 के द्वारा अनुरोध किया है कि पूर्व की भांति गुवाकटा अध्यक्ष, (डॉ० एस0एन0 शर्मा) को परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में नामित (co-opted) करना सुनिश्चित करें जिससे महाविद्यालयी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो सके। गुवाकटा अध्यक्ष को परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में co-opt करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण परीक्षा समिति की आगामी बैठक में रखा जाय।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

PA-111



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में शिवांगी द्विवेदी पत्नी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय बी०एड० वर्ष-2016 अनुक्रमांक 1617531270081, केन्द्र-सेण्ट एण्ड्रयूज महाविद्यालय गोरखपुर संस्थागत छात्रा के पति का नाम शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्थान पर पिता का नाम श्री दिवाकर द्विवेदी का नाम संशोधन कर दिया जाय।

(ii) क० भानु गुप्ता ने अपने पत्र दिनांक 29/12/2016 के द्वारा अवगत कराया है कि मरा नाम भानु गुप्ता पुत्री भाला प्रसाद गुप्ता है जबकि बी०ए० भाग एक अनुक्रमांक 129571 वर्ष-1998, बी०ए० भाग दो अनुक्रमांक 112473 वर्ष-1999 की अंकतालिका में भानु अग्रहरि अंकित है किन्तु बी०ए० भाग तीन की अंकतालिका में अनुक्रमांक 114930 वर्ष-2000 में भानु गुप्ता अंकित है तथा उपाधि में भी भानु गुप्ता अंकित है। इन्होंने मांग किया है कि मरा नाम बी०ए० भाग एक एवं भाग दो में भानु अग्रहरि के स्थान पर भानु गुप्ता का नाम संशोधन कर अंकतालिका निर्गत किया जाय। बी०ए० भाग एक एवं दो की अंकतालिका में भानु अग्रहरि के स्थान पर भानु गुप्ता का नाम संशोधन पर विचार। (बी०ए० भाग एक एवं भाग दो की अंकतालिका, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है।)

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भानु अग्रहरि, बी०ए० भाग एक, अनुक्रमांक-129571 वर्ष-1998 एवं भानु अग्रहरि, बी०ए० भाग दो, अनुक्रमांक-112473 वर्ष-1999 के सारणीयन पंजिका में भानु अग्रहरि के स्थान पर भानु गुप्ता का नाम संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(iii) श्री आलमगीर अली पुत्र श्री लजीम अली ने अवगत कराया है कि उनका बी०ए०-प्रथम वर्ष-2009, अनुक्रमांक-2012110017, बी०ए० द्वितीय वर्ष-2010, अनुक्रमांक-3067630003, बी०ए० तृतीय वर्ष-2011, अनुक्रमांक-4117630005, परीक्षा केन्द्र-वीर अब्दुल हमीद स्मारक महाविद्यालय फतेहपुर, झुंगिया, गोरखपुर के अंकतालिका में अंग्रेजी में नाम ALAMGIR ALI के स्थान पर त्रुटिवश AALAMGEER ALI दर्ज है व पिता का नाम LAZIM ALI के स्थान पर त्रुटिवश LAJEEM ALI दर्ज है इसे संशोधन कराने पर विचार। (इस हेतु इन्होंने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न किया है।)

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री आलमगीर अली पुत्र श्री लजीम अली, बी०ए०-प्रथम वर्ष-2009, अनुक्रमांक-2012110017, बी०ए० द्वितीय वर्ष-2010, अनुक्रमांक-3067630003, बी०ए० तृतीय वर्ष-2011, अनुक्रमांक-4117630005, केन्द्र-वीर अब्दुल हमीद स्मारक महाविद्यालय फतेहपुर, झुंगिया, गोरखपुर से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में AALAMGEER ALI के स्थान पर ALAMGIR ALI व पिता के नाम LAJEEM ALI के स्थान पर LAZIM ALI नाम का संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(iv) शुचि दूबे, बी०एस-सी० भाग तीन, अनुक्रमांक 151012720167, वर्ष-2015 महात्मा गाँधी पी०जी० कालेज, गोरखपुर में अपने पिता के नाम में संशोधन करने का प्रत्यावेदन किया है। सारणीयन पंजिका में बी०एस-सी० प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में शुचि दूबे पुत्री क०एन० दूबे अंकित है। प्रार्थी ने पिता के नाम क०एन० दूबे के स्थान पर कलानिधि दूबे अंकित करने की मांग की है। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, बी०एस-सी० भाग एक, दो एवं भाग तीन की अंकतालिका संलग्न है। शुचि दूबे पुत्री क०एन० दूबे के स्थान पर शुचि दूबे पुत्री कलानिधि दूबे के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शुचि दूबे, केन्द्र-महात्मा गाँधी पी०जी० कालेज, गोरखपुर के बी०एस-सी० भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में शुचि दूबे के पिता क०एन० दूबे के नाम के स्थान पर कलानिधि दूबे का नाम संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(घ) (i) सुनील कुमार श्रीवास्तव विधि भाग दो सत्र-2007-08 में संस्थागत छात्र थे जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, सत्र 2009-10 में भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। सत्र 2010-11 में भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित हुए थे और इनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा परीक्षाफल निरस्त कर दिया है। सुनील कुमार श्रीवास्तव के सम्बन्ध में कार्यालय एवं संकायाध्यक्ष की आख्या है कि छात्र को एक संस्थागत एवं दो भूतपूर्व परीक्षा का लाभ दिया जा चुका है। अतः अब छात्र को निगमानुसार परीक्षाफार्म भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुनील कुमार श्रीवास्तव विधि भाग दो के परीक्षा में बैठने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय: संकायाध्यक्ष, विधि संकाय के संस्तुति व अभिमत के क्रम में समिति ने निर्णय लिया कि सुनील कुमार श्रीवास्तव, विधि भाग दो को परीक्षा में बैठने सम्बन्धी प्रत्यावेदन/अभ्यर्थन को अस्वीकार किया।